प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में दिनांक 23 अप्रैल, 2020 को सायं 06:00 बजे कोविड–19 की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपचार हेतु गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

1. बैठक में निर्देशित किया गया कि शासनादेश संख्या 939/पॉच–5–2020 दिनांक 23 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रदेश में निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की एकल चरण जॉच हेतु अधिकतम धनराशि रू0 2500/– निर्धारित की गयी है। निजी प्रयोगशालाओं द्वारा उक्त जॉच हेतु रू0 2500/– से अधिक धनराशि लिया जाना एवं शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन कराया जाय।

कार्यवाहीः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।

2. बैठक में ए0एन0सी0 से संबन्धित राजकीय महिला चिकित्सालयों पर पी0पी0ई0 किट की उपलब्धता भी सुनिश्चित करायी जाय। साथ ही यदि निजी अभिसूचित चिकित्सालयों द्वारा पी0पी0ई0 किट की मॉग की जाती है उनकी उपलब्धता पर विचार किया जा सकता है।

कार्यवाहीः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।

3. इण्डसइण्ड बैंक द्वारा कोविड–19 अंतर्गत वी0टी0एम0 किट के क्रय हेतु सहायतार्थ दी जाने वाली धनराशि के क्रम में तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाय।

कार्यवाहीः प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एम0एस0सी0।

4. जनपद आगरा एवं मुरादाबाद जनपद में किए जा रहे कोविड–19 कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु किसी वरिष्ठ चिकित्साधिकारी को राज्य स्तर से नामित कर तत्काल भेजा जाय। इसके अतिरिक्त जनपदों हेतु पूर्व से नामित नोडल अधिकारियों को भी उनके कार्यो की गुणवत्ता के आधार पर ऐसे जनपद जहॉ प्रभावी पर्यवेक्षण की अतिआवश्यकता है में भेजा जा सकता है।

कार्यवाहीः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।

5. कोविड–19 में करोना जॉच हेतु लिए जाने वाले जनपदवार सैम्पल का संबन्धित पोर्टल पर अंकन अनिवार्यरूप से कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही नियमित रूप से सैम्पल अंकन की जनपदवार समीक्षा की जाय।

कार्यवाहीः निदेशक संचारी, रोग, उत्तर प्रदेश/अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0।

6. डा0 मधु संक्सेना, निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया कि आगरा जनपद के भ्रमण के समय निजी चिकित्सालय पारस हास्पिटल में कोरोना–19 +वी रोगियों से संबन्धित आडिट/जॉच कर आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाय। आडिट/जॉच में सहयोग हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि की भी सहायता ली जा सकती है।

कार्यवाहीः निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।

7. विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मुरादाबाद में क्वारेन्टाईन फैसिलिटीज में रखे गये व्यक्तियों की कोरोना जॉच के लिए लिये जाने वाले सैम्पल की लेवलिंग/पैकिंग बाद में की जाती है के प्रकरण पर निर्देशित किया गया कि स्थल/जॉच केन्द्र पर सैम्पल लेते ही लेबलिंग का कार्य पूर्ण कराया जाय।

कार्यवाहीः निदेशक, रोग, उत्तर प्रदेश।

–2–

8. भारत सरकार से प्राप्त होने वाले छोटे एवं जम्बों आक्सीजन सिलेण्डर की प्राप्ति कर जनपदों को उनकी आवश्यकता/जनपद में कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करायी जाय।

कार्यवाहीः प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एम0एस0सी0।

24/4

(प्रांजल यादव)
विशेष सचिव,
चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-5
संख्या- 956 पांच-5-2020
लखनऊः दिनांकः 25 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
7. विशेष सचिव, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेशं शासन।
8. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0।
9. निदेशक संचारी, रोग, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उत्तर प्रदेश।
12. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एम0एस0सी0।
13. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज, उत्तर प्रदेश।
14. सचिव, मेडिकल फैकल्टी, उ0प्र0।
15. स्टेट सर्विलान्स अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16. स्टेट क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी।

आज्ञा से,
25.4.2020
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव